सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

दूरभाष न0– 0135–2675780, फैक्स न0– 0135–2675779

ईमेल : **secy-uic@gov.in** वैब: **http://uic.gov.in**

पत्रांक /उ0सू0आ0/2021–22 दिनांक जून, 2021

कार्यालय आदेश

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र संख्या 226/USDMA/792(2020) दिनांक 20 जून, 2021 के द्वारा जारी COVID - Curfew के दिशा–निर्देशों के कम में आयोग में योजित द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई ऑडियो/वीडियो कॉल/वीडियों कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से दिनांक 23 जून, 2021 से प्रारम्भ की जाएंगी।

ऑडियो/वीडियो कॉल के माध्यम से पक्ष रखने हेतु पक्षकारों को अपना दूरभाष नम्बर सुनवाई से कम से कम एक दिन पूर्व आयोग के नोटिस में दिए गए मोबाइल नम्बर अथवा आयोग के ई–मेल **secy-uic@gov.in** पर उपलब्ध कराना होगा। लिखित रूप में पक्ष रखने हेतु पक्षकारों को अपना लिखित अभिकथन सुनवाई से कम से कम एक दिन पूर्व आयोग के ई–मेल **secy-uic@gov.in** पर ईमेल द्वारा, आयोग के नोटिस में दिए गए व्हट्स एप नम्बर पर व्हटस एप द्वारा या डाक द्वारा उपलब्ध कराना होगा। वीडियों कॉन्फ्रंसिंग के माध्मय से पक्ष रखने हेतु आयोग के द्वारा बताये गये पते व समय पर पक्षकार उपस्थित रहकर अपना पक्ष रख सकते है।

कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत पक्षकारों की आयोग में व्यक्तिगत उपस्थिति अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित रहेगी।

(बंशी लाल राणा)
प्रभारी सचिव

पत्रांक 3570 /उ0सू0आ0/2021–22 दिनांक 22 जून, 2021

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, मा0 मुख्य सूचना आयुक्त को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक मा0 राज्य सूचना आयुक्त को मा0 राज्य सूचना आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।
3. समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त आशुलिपिकों इस आशय से प्रेषित की वे अपनी–अपनी पीठ से संबंधित आशुलिपिकों से समन्वय स्थापित करते हुए द्वितीय अपीलों/शिकायतों की नियत सुनवाई की तिथि से एक दिन पूर्व पक्षकरों को सुनवाई की सूचना से दूरभाष से अवगत करना सुनिश्चित करें।
5. वेबसाईट एवं आयोग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(बंशी लाल राणा)
प्रभारी सचिव